

Revised Certificate order-22/2014 Dated 25 Nov.,2014

FORM-1
(for linear projects)

Government of Rajasthan
Office of the District Collector Baran, Rajasthan

No: 2/2017

Dated: 10 May, 2017

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

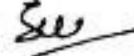
In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.68 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of Shri R.K. Soni, Executive Engineer Public Works Department Div.- Shahabad (name of user agency) for **Constructions of Road Work from Bichi to Rampur upreti** (purpose for diversion of forest land) in Baran district falls within jurisdiction of **Bichi, Balharpur and Rampur upreti** village(s) in Shahabad tehsils.

It is Further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.68 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure(I) to annexure(x).
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama sabhas have given their consent to it,
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pro agricultural Communities.

Encl : As above.

Signature



(Dr. S.P. Singh)
President of District Level committees &
District Collector, Baran

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां (राजस्थान)

आज दिनांक 27.04.2017 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां की बैठक आहुत की गई जिसमें वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़कों जिनका अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 एवं नियम, 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 की धारा 3(2) के तहत अधिशासी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद के प्रस्ताव संख्या 22/2014, 14/2014, 24/2014 का दिनांक 24.11.2014 को भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव अनुमोदन किया गया था। उक्त अनुमोदित प्रस्तावों में वन भूमि का रकबा संशोधित होने से, ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों व उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, किशनगंज/शाहबाद से अनुमोदित होकर इस आशय का प्राप्त हुए है कि इन प्रस्तावित वन भूमियों के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लंबित है। निम्न प्रस्तावों पर बैठक में विचार किया गया।

क्र.सं.	यूजर एजेंसी का नाम	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रयोजन	पूर्व में पारित प्रस्ताव		प्रस्तावित भूमि का विवरण		संशोधित प्रस्ताव हेतु ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों की अनुमोदन दिनांक	संशोधित प्रस्ताव हेतु उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों की अनुमोदन दिनांक
			प्रस्ताव सं०	दिनांक	पूर्व में प्रस्ता. रकबा	संशोधित रकबा		
1	अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद	नामली लक्ष्मीपुरा पटपडी सड़क	14/2014	24.11.2014	3.00 है०	1.14 है०	बादीपुरा (16.10.2015)	02.11.2015
2.		बिंदी से रामपुर उपरेटी	22/2014	24.11.2014	2.50 है०	2.68 है०	बिंदी (26.01.2017)	06.02.2017
3.		कैदारकुई से मुहलाल	24/2014	24.11.2014	7.00 है०	4.30 है०	गणेशपुरा (08.10.2015)	05.11.2015

इसी प्रकार बैठक में अधिशासी अभियंता, वन संसाधन खण्ड तृतीय, बारां से अहमदी लघु सिंचाई परियोजना दौंयी नहर एवं नाइनर हेतु ग्राम पंचायत, बजरंगगढ की प्रस्तावित वन भूमि 5.2320 है० वन क्षेत्र के भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव धारा, 3(2) के तहत ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति ग्राम पंचायत बजरंगगढ एवं उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, किशनगंज से अनुमोदित होकर, इस आशय से प्राप्त हुये है कि उक्त वन भूमि के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुए है ना ही वर्तमान में कोई दावा लंबित है तथा ग्राम पंचायत व उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, किशनगंज को प्रावधित वन भूमि प्रत्यावर्तन पर कोई आपत्ति नहीं है।

**उप वन सारक्षक
बारां**

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूमेन
परि० अधिनियम-2006 के तहत

अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर
राजस्थान

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूमेन
परि० अधिनियम-2006 के तहत

आज दिनांक 06-08-2017 को उपखंड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमे ग्राम स्तरीय समिति वनाधिकार समिति से वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क बिची से रामपुरजपेटीके लिए प्राप्त प्रस्ताव संख्या 2-..... जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है उसको उपखंड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के एवं नियम 2008 के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित वनभूमि पर कोई दावे लंबित नहीं है अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंका की जाती है। सड़क के प्रस्तावित मार्ग में आने वाली वन एवं गैर वन भूमि का शम वार विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रमांक	ग्राम का नाम	सड़क के एलाइन्मेंट में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में	सड़क के एलाइन्मेंट में पड़ने वाली गैर वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में
1	बिची	1.26	0.27
2	बल्हारपुर	1.42	0.25
3	रामपुरजपेटी	0	1.04
कुल		2.68 हेक्टेयर	1.56 हेक्टेयर

06/08/17
उपखंड अधिकारी
उपखंड शाहाबाद

क्षेत्रीय वन अधिकारी
क्षेत्रीय वन अधिकारी
सहायक वन संरक्षक
शाहाबाद/किलवाड़ा/भबरगढ़/नाहरगढ़

06/08/17
विकास अधिकारी
पंचायत समिति शाहाबाद

आज दिनांक 26.01-2017 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमे वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क बिची से रामपुरउपरेटीके लिए प्राप्त प्रस्ताव संख्या 02 का ग्राम स्तरीय समिति द्वारा निर्माण हेतु अनुमोदन किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वनाधिकारों की गान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के एवं नियम 2008 के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित वनभूमि पर कोई दावे लंबित नहीं है अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंका की जाती है। सड़क के प्रस्तावित मार्ग में आने वाली वन एवं गैर वन भूमि का ग्राम वार विवरण निम्न प्रकार से है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक 01 पर इन्द्राज है तथा ग्राम सभा में 50% से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गयी।

क्रमांक	ग्राम का नाम	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली गैर वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में
1	बिची	1.26	0.27
2	बल्हारपुर	1.42	0.25
3	रामपुरउपरेटी	0	1.04
कुल		2.68 हेक्टेयर	1.56 हेक्टेयर

मन्तर
सरपंच
ग्राम पंचायत, बिची
पं० साहाबाद जिला बारी
पंचायत समिति शाहाबाद

पटवारी
पटवारी
ग्राम पंचायत बिची
पटवारी
पंचायत समिति शाहाबाद

सचिव
ग्राम पंचायत, बिची
ग्राम पंचायत बिची
पंचायत समिति शाहाबाद

